संसं0–1/प0मे0कॉ0–03/2018– 116 (1) स्वा०

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

विभागाध्यक्ष–सह–नियंत्रण पदाधिकारी,
बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरापी एवं अकुपेशनलथेरापी,
विकलांग भवन अस्पताल, कंकड़बाग, पटना।

पटना, दिनांक–08/03/2019

विषयः– बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरापी एवं अकुपेशनलथेरापी, विकलांग भवन अस्पताल, पटना को विपत्र कोड–20–2210051050001 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में भाड़े की गाड़ी का भुगतान मद में तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त कुल रू0 3,50,000/–(रुपये तीन लाख पचास हजार) मात्र का आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागाध्यक्ष, बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरापी एवं अकुपेशनलथेरापी, विकलांग भवन अस्पताल, कंकड़बाग, पटना को विपत्र कोड–20–2210051050001 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में भाड़े की गाड़ी का भुगतान मद में तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त कुल रू0 3,50,000/–(रुपये तीन लाख पचास हजार) मात्र का आवंटन निम्नरुपेण दी जाती है–

विषय शीर्ष	बजट उपबंध	तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त उपबंध	कुल उपबंध	पूर्व का आवंटन	वर्त्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शेष राशि
0001.13.10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान	0	350000	350000	0	350000	350000	0

2. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि०(2) दिनांक 17.04.1998, 2880/वि०(2) दिनांक 06.05.06 एवं 2938/वि0(2), दिनांक 08.04.08 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है एवं इनके प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विभागाध्यक्ष, बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरापी एवं अकुपेशनलथेरापी, विकलांग भवन अस्पताल, कंकड़बाग, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथी–0001–पटना मेडिकल कॉलेज, विपत्र कोड–20–2210051050001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से की जायेगी।

5. आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किये गये व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित कराकर सत्यापित प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापित प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।

क्रमशः

7. यह मात्र आवंटन है, व्यय की स्वीकृति नहीं। इस राशि से क्रय संबंधी कार्य वित्त नियमावली एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों/अनुदेशों के आलोक में निर्धारित शर्त्तों के तहत् किया जाएगा।

8. इस आवंटन से पूर्व के बकाये का भुगतान किया जा सकता है। न्यायादेश से आच्छादित मामलों में बकाये के भुगतान में प्राथमिकता दी जाय। बकाये वेतनादि के मामलों में चालू वित्तीय वर्ष के माह, मार्च एवं अप्रील के नियमित वेतन भुगतान के पश्चात् ही बकाये का भुगतान किया जा सकेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी लंबित दायित्वों के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेगें कि बकाये की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और दावा नियमानुकूल है।

9. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, पटना से की जाएगी।

10. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।

11. इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(राधेश्याम साह)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–1/प0मे0कॉ0–03/2018– 116(1)/स्वा0, पटना, दिनांक–08/03/2019

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिलाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1), स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–1 एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव